51

न्यायालय जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर

प्रा.पत्र मुत.(मुन्तकली) संख्या– 115/21 सन् 2021

आरसीएमएस संख्या 2021/306

बउनवानी :– 1. कमलेश पुत्र घनश्याम ब्राहामण निवासी पण्डो की ढाणी तहसील बामनवास
2. दिनेश पुत्र घनश्याम ब्राहामण निवासी पण्डो की ढाणी तहसील बामनवास
3. कोशलकिशोर पुत्र घनश्याम ब्राहामण निवासी पण्डो की ढाणी तहसील बामनवास
4. संतोष कुमार पुत्र घनश्याम ब्राहामण निवासी पण्डो की ढाणी तहसील बामनवास

बनाम

1. केसरिया पुत्र कल्याण जाति योगी निवासी लिवाली तहसील बामनवास
2. तेजप्रकाश पुत्र कल्याण जाति योगी निवासी लिवाली तहसील बामनवास
3. तहसीलदार बामनवास
4. शाखा प्रबंधक, आई.सी.आई.सी.बैंक शाखा लिवाली तहसील बामनवास
5. उपजिला कलेक्टर बामनवास

(मुन्तकली प्रार्थना पत्र विरूद्ध उपजिला कलेक्टर बामनवास मे जैरकार प्रकरण प्रार्थना पत्र 212 संख्या 62/2019 एवं वाद संख्या 83/19 उनवानी कमलेश बनाम केसरिया अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955)

उपस्थितः 1. श्री हरिओम गोत्तम वकील प्रार्थी
2. श्री चेतीराम मीना वकील अप्रार्थी

–: निर्णय :– दिनांक 9.3.2022

वकील प्रार्थी ने न्यायालय उपजिला कलेक्टर बामनवास में विचाराधीन प्रार्थना पत्र 212 संख्या 62/2019 एवं वाद संख्या 83/19 उनवानी कमलेश बनाम केसरिया अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त प्रकरण को दीगर न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने बाबत इस्तदुआ की है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अदालत मातहत से प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों के सम्बन्ध में टिप्पणी तलबी की गयी साथ ही सम्बन्धित विपक्षीगणों की सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी।

तत्पश्चात् बहस वकील उभय पक्ष सुनी गयी।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना में उल्लेखित तथ्यों की और ध्यान आकर्षित कर कथन किया है कि प्रकरण प्रार्थना पत्र 212 संख्या 62/2019 एवं वाद संख्या 83/19 उनवानी कमलेश बनाम केसरिया न्यायालय उपजिला कलेक्टर बामनवास मे विचाराधीन है जिसमे 20.9.2019 को अस्थायी निषेधाज्ञा पारित कर विपक्षीगण को रास्ते के काम आ रही भूमि के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करने तथा रास्ते को अवरूद्व नही करने बाबत पाबंद किया हुआ है। उक्त प्रकरण मे आगामी तारीख पेशी दिनांक 20.10.2021 थी किन्तु उस दिन पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांवो के संघ अभियान मे होने के कारण सभी प्रकरणों मे जनरल पेशी दिनांक 24.12.2021 नियत की गयी थी किन्तु विपक्षीगण द्वारा पीठासीन अधिकारी से मिलकर जानबूझकर तारीख 10.11.2021 नियत करवा ली गयी। दिनांक 10.11.2021 को पत्रावली वास्ते बहस टी.आई. दिनांक 17.11.2021 नियत की गयी व दिनांक 17.11.2021 को प्रार्थीगण के अधिवक्ता को बिना सूचना दिये ही बिना प्रतिवादी के कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये बिना वादी को नोटिस जारी कर [illegible] जानबूझकर अधीनस्थ न्यायालय ने पेशी 24.11.2021 नियतकर दी तथा [illegible] सूचना करने का आदेश दिया गया जबकि अधीनस्थ न्यायालय मे उक्त प्रकरण प्रार्थी [illegible] द्वारा पेश किया गया था जिसको अधीनस्थ न्यायालय मेरिट पर निर्णित नही कर विपक्षीगण से मिलकर उक्त प्रकरण [illegible]रित स्थगन आदेश निरस्त करने की कार्यवाही करने पर उतारू है। [illegible]क्षी द्वारा दिनांक 18.1[illegible] को प्रार्थीगण को धमकी दी है कि उपजिला कलेक्टर बामनवास से उक्त प्रकरण मे फैसला अपने पक्ष करवाने के लिए उनकी सांठ–गांठ हो गयी है। इसलिए प्रार्थी को उक्त प्रकरण मे पीठासीन अधिकारी महोदय से न्याय

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.03.17 17:18:07 IST
Reason: SelfAttested

(...श कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

मिलने की बिल्कुल उम्मीद शेष नही होने के कारण प्रार्थी का मुन्तकिली प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उपजिला कलेक्टर बामनवास के न्यायालय में जैरकार उक्त प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय मे मुन्तकिल किये जाने बाबत वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान वकील अप्रार्थीगण द्वारा दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थी द्वारा बेबुनियाद तथ्यों के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है क्योकि तहत न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण मे विधिवत कार्यवाही की जा रही है। यह तर्क भी दिया कि प्रार्थीगण ने हम अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ख0न0 214 की भूमि पर दिनांक 20.9.2019 को उपजिला कलेक्टर न्यायालय बामनवास से एक्सपार्टी स्थगन प्राप्त कर रखा है तथा उक्त स्थगन को ओर आगे तक चलाये रखने हेतु टी.आई. प्रार्थना पत्र के निर्णय पर अनावश्यक देरी करने की गरज से यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र मनगढन्त तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। यह तर्क भी दिया कि दिनांक 5.7.2021 को एक प्रार्थना पत्र प्रार्थी कमलेश वगै. ने राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर को प्रस्तुत किये जाने पर न्यायालय द्वारा उक्त टी.आई प्रकरण को एक माह मे निस्तारण किये जाने बाबत लिखा गया था। प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रकरण मे कभी भी तारीख पेशी नही बदलवायी गयी है। मुताबिक आदेशिका तहत न्यायालय प्रार्थी को सुनवायी एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जा रहा है। किन्तु प्रार्थी प्रकरण मे देरी करने की गरज से निराधार एवं झूंठे तथ्यों के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो खारिज किये जाने बाबत वकील अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया।

उपजिला कलेक्टर बामनास की ओर प्राप्त टिप्पणी में भी पीठासीन अधिकारी द्वारा अंकित किया गया कि उक्त प्रकरण मे दिनांक 20.9.2019 को अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर रखा है पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरोप गलत है। गैर सायल द्वारा दिनांक 8.10.2021 को अपने वकील के जरिये जवाब पेश किया गया था उसके बाद वास्ते सुनवायी हेतु पत्रावली 14.10.2021 नियत की गयी उस दिन वकील सायल द्वारा गैर सायल को तलब करने हेतु निवेदन करने पर न्यायालय द्वारा दिनांक 17.11.2021 को नोटिस जारी कर गैर सायल वगै. को तलब किया गया। पक्षकारान को बिना कोई सूचना दिये न्यायालय द्वारा कोई कार्यवाही नही की जाती है। यदि फिर भी उक्त प्रकरण को दीगर न्यायालय मे मुन्तकिल किया जाता है तो तहत न्यायालय को कोई आपत्ति नही है।

वकील उभयपक्षों की और से प्रस्तुत तर्कों को सुनने के पश्चात् सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय उपजिला कलेक्टर बामनवास के पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरापो की पुष्टि वकील प्रार्थी द्वारा किये गये कथन एवं प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर नही होती है। इसके विपरीत वकील अप्रार्थी द्वारा किया गया कथन कि प्रार्थी द्वारा उक्त मुन्तकिली प्रार्थना पत्र झूठे तथ्यों के आधार पर पेश किया है कि पुष्टि प्रस्तुत आदेशिका दिनांक 20.9.2019 से 17.11.2021 की प्रति से हो जाती है प्रार्थी द्वारा उक्त मुन्तकिली प्रार्थना पत्र महज प्रकरण के निस्तारण में दैरीना करने की दृष्टि से निराधार तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण का निस्तारण साक्ष्य,सबूतो एवं दस्तावेजात के आधार पर किया जाता है। चूंकि प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा मुन्तकिली प्रार्थना पत्र से संबंधित प्रकरण की सुनवायी विधिवत तरीके से की जा रही है इसलिए उक्त प्रकरणों को दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने की आवश्यकता नही है। अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना पत्र सारहीन प्रतीत होता है।

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी [illegible] मुन्तकिली प्रार्थना खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 9.3.2022 को लिखाया जाकर [illegible] न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.03.17 17:18:07 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर